

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी
पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)


राजस्व प्रकरण संख्या :- 107/2023
दायर दिनांक :- 17.05.2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/305
निर्णय दिनांक :- 12.08.2025

1. भगवानाराम पुत्र उदाराम जाति भील निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
-प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. ग्राम पंचायत चिमाणा पंचायत समिति, घंटियाली जरिये ग्राम विकास अधिकारी चिमाणा।
3. यूको बैंक शाखा घंटियाली जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. उगराराम पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. कुम्हाराम पुत्र प्रहलादराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. कमा पुत्री मेघाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
7. करनाराम पुत्र अमेदाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
8. कोजाराम पुत्र प्रहलादराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
9. चुतराराम पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
10. चम्पाराम पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
11. टीकूराम पुत्र ताजाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
12. दलाराम पुत्र गोविन्दराम फौत विलोपित के कायम मुकाम
- 12/1 मूलाराम पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
- 12/2 हड़मानराम पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
- 12/3 रामूराम पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
- 12/4 उगाराम पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
- 12/5 कसूमबी पुत्री दलाराम जाति जाट निवासी भेलू तहसील कोलायत जिला बीकानेर
- 12/6 बाधू पुत्री दलाराम जाति जाट निवासी भेलू तहसील कोलायत जिला बीकानेर
- 12/7 धापू पुत्री दलाराम जाति जाट निवासी भेलू तहसील कोलायत जिला बीकानेर
13. धनाराम पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
14. नानकराम पुत्र ताजाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
15. पुनाराम पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
16. प्रेमी पत्नी लुणाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी (विलोपित)
17. पूरा देवी पत्नी भोजाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
18. बाबूराम पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

A 

19. मूलाराम पुत्र ताजाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
20. मीरा पत्नी आशाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
21. रामूराम पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
22. सुखाराम पुत्र भोजाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
23. सुरताराम पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
24. हुकमाराम पुत्र मगनाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
25. हीराराम पुत्र ताजाराम फौत विलोपित के कायम मुकाम
- 25/1 आसूराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
- 25/2 अमानाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
- 25/3 राजूराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
26. श्रवणराम पुत्र चीमाराम जाति जाट निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
27. बुधाराम पुत्र अदाराम जाति भील निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
28. हरूराम पुत्र उदाराम जाति भील निवासी चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

- उपस्थित :-1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थी
 2. श्री राणीदानसिंह अधिवक्ता अप्रार्थीगण
 संख्या 4 ता 7, 15,18,20,24,26,27,28
 2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 318/2 रकबा 0.8094 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 319/2 रकबा 2.0720 हैक्टेयर ग्राम चिमाणा पटवार चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू-नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार घंटियाली द्वारा दिनांक 10.06.2020 को जारी आदेश क्र संख्या 312 की पालना में दिनांक 13.06.2022 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थी तथा पड़ोसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 13.06.2022 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हों (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थी द्वारा वर्ष २०२० के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर

12/01/22

अप्रार्थीगण सं. 2 ता 28 द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थी को तारबंदी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थी की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थी अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबंदी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थी को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 13.06.2022 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 8, ता 14 तथा 16, 17, 19, 21 ता 23, 25, 29 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 4 ता 7, 15, 18, 20, 24, 26, 27, 28 की और अधिवक्ता राणीदानसिंह ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि पैमाईश फर्द दिनांक 13.06.2022 अनुसार पत्थरगढी की जाती है तो कोई उजर ऐतराज नहीं है। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम चिमाणा पटवार चिमाणा तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 318/2 रकबा 0.8094 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 319/2 रकबा 2.0720 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काशत आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काशत को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 13.06.2022 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 ता 7, 15, 18, 20, 24, 26, 27, 28 ने बहस में कथन किया कि पैमाईश फर्द दिनांक 13.06.2022 अनुसार पत्थरगढी की जाती है तो कोई उजर ऐतराज नहीं है।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द, अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि ग्राम चिमाणा पटवार चिमाणा तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 318/2 रकबा 0.8094 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 319/2 रकबा 2.0720 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्ड्ड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए पैमाइश फर्द दिनांक 13.06.2022 अनुसार पत्थरगढी करवाने का हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

A. Mehra

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम चिमाणा पटवार चिमाणा तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 318/2 रकबा 0.8094 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 319/2 रकबा 2.0720 हैक्टेयर भूमि की पत्थर गड्ढी पैमाईश फर्द दिनांक 13.06.2022 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार घंटियाली उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गड्ढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

~~सुखाराम पिण्डेल~~
 (सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 बाप (फलोदी)